FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं S.D.O. मुकाम बायतु

भैराराम बनाम सताराम वगैरा

किस्म मुकदमा रा. कार्य. 111,128 RLRAct नं. 24/19 सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08/01/19	~~प्रार्थी~~/वादी/अपीलांट के वकील श्री जगदीश गोदारा ने यह प्रार्थना पत्र/~~वाद/अपील~~ धारा 111,128 RLRAct राजस्थान काश्तकारी/~~भू राजस्व~~ अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी /~~प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट~~ जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 18/02/19 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
18/02/19	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामिल शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थी संख्या-2 व 4 की ओर से वकील श्री रिछपालराम सियाग द्वारा अण्डर टेकिंग ली गई श्रीमान पीठासीन अधिकारी डिग्गा ड्यूटी में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 22/03/19 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	undertaking 2 व 4 (हस्ताक्षर) 18/2
27/03/19	प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या- 2 व 4 के वकील उपस्थित। श्रीमान पीठासीन अधिकारी डिग्गा ड्यूटी में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 22/4/19 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.31 14:41:28 IST
Reason: SelfAttested

22/04/19 प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 2 व 4 के वकील उपस्थित। विप्रार्थी वकील द्वारा वकालतनामा व जवाब पेश नहीं किया गया। श्रीमान पीठासीन अधि. कारी डिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इलतवा होकर आगामी दिनांक 11/06/19 को पेश हो।

11/06/19 प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 2 व 4 के वकील उपस्थित। विप्रार्थी संख्या 2 की ओर से वकील श्री रिछपाल सिहाग द्वारा वकालतनामा पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। श्रीमान पीठासीन अधिकारी डिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इलतवा होकर आगामी दिनांक 16/09/19 को पेश हो।

16/09/19 पक्षकारान हाजरीन उपस्थित। विप्रार्थी वकील द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया। श्रीमान पीठासीन अधिकारी डिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इलतवा होकर आगामी दिनांक 27/11/19 को पेश हो।

27/11/19 पक्षकारान हाजरीन उपस्थित। श्रीमान पीठासीन अधिकारी अवकाश में पधारे हुए हैं अत: मिसल इलतवा होकर आगामी दिनांक 18/02/2020 को पेश हो।

18/02/20 पक्षकारान हाजरीन उपस्थित। श्रीमान पीठासीन अधिकारी डिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इलतवा होकर आगामी दिनांक 24/02/20 को पेश हो।

24/02/20 पक्षकारान हाजरीन उपस्थित। विप्रार्थी वकील द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया आइन्दा पेश करना चाहते हैं [illegible] किया जाकर पत्रावली दिनांक 18/03/2020 को पेश हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.31 14:41:28 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18/03/2020	प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या- 2 व 4 के वकील उपस्थित। विप्रार्थी संख्या-2 की ओर से प्रार्थी वकील द्वारा जवाब पेश किया गया जिसकी प्रति प्रार्थी वकील को दी जाकर शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थी संख्या-4 के अधिवक्ता द्वारा जवाब व वकालतनामा पेश नहीं किया गया पूर्व में पर्याप्त अवसर दिये गये, पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी विप्रार्थी संख्या-4 के अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा व जवाब पेश नहीं करने पर विप्रार्थी संख्या-4 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है अतः वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 20/05/20 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
20/05/20	पत्रावली आज पेश हुई। कोविड-2019 के चलते कोर्ट नहीं लिया गया। मौजात पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 24/09/20 को पेश हो।	
24/09/20	प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या-2 के वकील उपस्थित। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया की प्रार्थी व विप्रार्थीगणों के खेत सेढ़ा सेर आये हुए है प्रार्थी व विप्रार्थीगणों के खेतों के मध्य जो पुरानी नाडे व डोले आये हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गये है जिससे प्रार्थी को अपने खेत के सेढ़ो का सही ज्ञान नहीं हो पा रहा है प्रार्थी व विप्रार्थीगणों के मध्य खेत के सेढ़ो को लेकर हमेशा तनाजा बना रहता है प्रार्थी को अपने खेत के सेढ़ो का सही ज्ञान करने हेतु पत्थर नेपमबन्दी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी का नेपमबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर नेपमबन्दी आदेश किया जावे। जबकि विप्रार्थी संख्या-2 के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया की प्रार्थी	

(हस्ताक्षर)
सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.31 14:41:28 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहलकार हुक्म की तामील में जारी हुआ
	खेतों का सीमाज्ञान नहीं करवाया है तथा सीमाज्ञान करवाकर प्रार्थी अपने खेत की मेड़बन्दी कर सकता है यदि विप्रार्थी के खेत की सीमाएं प्रभावित नहीं होती है तो प्रार्थी अपने खेत की मेड़बन्दी करवा सकता है। अतः दोनों पक्षों के अधिवक्तागण की बहस सुनने के बाद प्रार्थी का मेड़बन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमिश्नर व सम्बन्धित भू० अभिलेख निरीक्षक को सहायक कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी के खातेदारी खेतों का सीमाज्ञान कर बाद सीमाज्ञान प्रार्थी के खेतों की पक्की मेड़बन्दी आप स्वयं या सहायक कमिश्नर से मौके पर कमिश्नर रूबरू जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	

क्रमांक / वाद / 2020 /

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.31 14:41:28 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

क्रमांक / वाद / 2020 / 729 दिनांक– 24/09/2020

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. मैराराम पुत्र पुनमाराम जाति जाट निवासी चवा नाडा तहसील बायतु जिला बाड़मेर		1. सताराम पुत्र पुनमाराम (11) वगैरा निवासी चवा नाडा तहसील बायतु जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 24 / 19

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा चवा नाडा पटवार हल्का कोसरिया तहसील बायतु जिला बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 382 / 80 रकबा 28.00 बीघा की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है खातेदार को अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है वह तहसीलदार बायतु को कमीशनर व संबंधित भू अभिलेख निरिक्षक को सहायक कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है। कि कमीशनर स्वंय या सहायक कमीशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों का सीमाज्ञान कर बाद सीमाज्ञान पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनर शुल्क रूपयें 500 जमा करा कर करें एवं पालना रिपार्ट पेश करें। तथा अपेक्षित होने पर संबंधित थाना अधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।

आदेश सरे ईजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

उपखण्ड अधिकारी बायतु
सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

क्रमांक / वाद / 2020 / 730-734 दिनांक– 24/09/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी कोसरिया को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री मैराराम
4. विप्रार्थीगण सताराम वगैरा
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, गिड़ा / बायतु / नागाणा ।

उपखण्ड अधिकारी बायतु
सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.31 14:41:28 IST
Reason: SelfAttested